Annexure – XXXII

आवश्यक / महत्वपूर्ण

पत्रांक : 2056 / कैम्प–3 / सू0अधि0–05 / नि0को0वि.सें0 / 2005

प्रेषक,

निदेशक
कोषागार एवं वित्त सेवायें
उत्तरांचल, 23– लक्ष्मी रोड, डालनवाला
देहरादून।

सेवा में,

समस्त कोषागार अधिकारी
उत्तरांचल।

देहरादून : दिनांक 4 जनवरी 2006

विषय : प्रदेश के सभी लोक सूचना अधिकारियों को संबंधित अहरण एवं वितरण अधिकारियों को शुल्क प्राप्त कर रसीद प्राप्त करने हेतु दिशा निर्देश – विभिन्न स्तरों पर लोक सूचना अधिकारियों के नामांकन की स्थिति।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तरांचल सूचना आयोग के संलग्न पत्र संख्या 39 / उ0सू0आ0 / मु0सू0आ0 / 2005 दिनांक 19 जनवरी 2006 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तरांचल के उक्त संदर्भित पत्र का अनुपालन करना सुनिश्चित करें। वि0नि0सं0 खण्ड–5 भाग–1 प्रस्तर–1 के प्रपत्र 385 में आपके द्वारा प्रस्तर–26 में इंगित अधिकारी को रसीद निर्गत की जायेगी। आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रपत्र–385 की प्राप्ति की रसीद आवश्यकतानुसार लोक सूचना अधिकारियों को समयबद्ध रूप से उपलब्ध करायी जायें और यह भी देख लिया जाये कि रसीद बुकों की कमी न होने पाये। यदि रसीद बुक की उपलब्धता अपर्याप्त है तो रसीद बुकों को भरने या इसकी प्रविष्टियों के विषय में जनता अथवा किसी लोक सूचना अधिकारी को काई जिज्ञासा हो तो उसको समाधान अपने स्तर पर ही करना सुनिश्चित करें। उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

भवदीय

(यशपाल सिंह)
निदेशक

संख्या व दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि मुख्य सुचना आयुक्त, उत्तरांचल सूचना आयोग, सैक्टर–1 सी–10 डिफैंस कालोनी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(यशपाल सिंह)
निदेशक